

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान  
(भाषा विभाग, उ०प्र० शासन के नियंत्रणाधीन)  
संस्कृत भवनम, नया हैदराबाद, लखनऊ-226007, उत्तर प्रदेश

आवेदन पत्र

(उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था) एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त प्रदेश में स्थापित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं वेद पाठशालाओं को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने हेतु)

विद्यालय का नाम—.....

संस्था पंजीकरण संख्या:—.....

पता (पिन सहित):— .....

जनपद :-.....मण्डल का नाम :- .....

मोबाइल नं०/वाट्सएप नं०:—.....ई-मेल:—.....

बोर्ड/प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय का नाम :- .....

विद्यालय/महाविद्यालय/पाठशाला का वेबसाइट (यदि कोई हो):—.....

(संस्कृत माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय एवं वेद पाठशालाओं द्वारा भरा जाये)

1. विद्यालय में कम्प्यूटर पहले से है? हाँ/नहीं
2. आपके विद्यालय में कम्प्यूटर केन्द्र हेतु एक प्रकोष्ठ की व्यवस्था है ?हाँ/नहीं
3. विद्यालय में कम्प्यूटर सिखाने वाले अध्यापक/व्यक्ति (यदि कोई हो) का विवरण :-

नाम:—

4. कम्प्यूटर संचालन के लिए आपके विद्यालय में विद्युत व्यवस्था(यदि हाँ तो नवीनतम बिल की छायाप्रति संलग्न करे )? हाँ / नहीं

5. पंजीकृत छात्रों की वर्तमान संख्या:—

हस्ताक्षर (नाम व मुहर सहित)

## वचन-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि

1. मैंने संस्थान द्वारा निर्धारित समस्त नियमों व शर्तों को भली-भांति पढ़ लिया है।
2. मेरे द्वारा प्रदत्त समस्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. मेरे विद्यालय द्वारा उ0प्र0 संस्कृत संस्थान अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था से इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया गया है अथवा लिया जा रहा है।
4. संस्थान द्वारा दी जाने वाली सामग्री का उपयोग मात्र विद्यालय पठन-पाठन में ही किया जायेगा, यदि भविष्य में उपर्युक्त सामग्री का प्रयोग पठन-पाठन के अतिरिक्त कार्यों में पाया गया तो उ0प्र0 संस्कृत संस्थान को उपर्युक्त सामग्री वापस करने के लिये मैं बाध्य होऊंगा।

हस्ताक्षर (नाम व मुहर सहित)

## नियम एवं शर्तें

1. उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय एवं महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन से सम्बद्ध वेद पाठशालायें ही आवेदन के पात्र होंगे।
2. विद्यालय में वर्तमान शैक्षिक सत्र में कम से कम अध्ययन/पठन-पाठन हेतु वेद पाठशालाओं में 10 तथा संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में 25 विद्यार्थी पंजीकृत होने चाहिये, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना होगा।
3. विद्यालय में विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिये, जिस हेतु नवीनतम विद्युत बिल की छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विद्यालय कम से कम 03 वर्ष पुराना होना चाहिये।
5. उ0प्र0 संस्कृत संस्थान अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था से इस प्रकार की योजना का लाभ न ही लिया गया है/लिया जा रहा है, इस आशय का undertaking(वचन पत्र) प्रस्तुत करना होगा।
6. संस्थान द्वारा दी जाने वाली सामग्री का उपयोग मात्र विद्यालय पठन-पाठन में ही किया जायेगा, इस आशय का undertaking(वचन पत्र) प्रस्तुत करना होगा।
7. इस योजना के आंशिक एवं सम्पूर्ण भाग को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अधिकारों में निहित है।

निदेशक